संख्या-2238/33-3-2017-02/2016

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायतीराज अनुभाग -3

लखनऊ: दिनांक 07 नवम्बर, 2017

विषयः– 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि को निर्धारित करने एवं निदेशालय स्तर पर 01 प्रतिशत धनराशि व्यय किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8/शा0/462/2017-8/272/2017 दिनांक 04.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 18.02.2016 द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संकमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गए थे। इस शासनादेश के भाग–1 तकनीकी एव प्रशासनिक मद के अंश–(क) अनुमन्य गतिविधियां के बिन्दु–I एवं II में सेवा प्रदाता के माध्यम से मानदेय पर कर्मियों को रखने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही साथ अंश–(ग) में उल्लिखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु व्यवस्था निर्धारित की गयी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि 14वे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संस्तुत बुनियादी अनुदान की धनराशि का 10 प्रतिशत तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 10 प्रतिशत धनराशि का 64.5 प्रतिशत धनराशि का व्यय तकनीकी एवं प्रशासनिक मद के साथ-साथ अनावर्ती व्यय निर्धारित किया गया था। शासनादेश दिनांक 18.02.2016 में इंगित किया गया है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की 10 प्रतिशत धनराशि के व्यय के लिए प्रति वर्ष निर्देश निदेशक, पंचायतीराज के प्रस्ताव पर शासन द्वारा जारी किए जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के बुनियादी अनुदान की धनराशि रू. 6179.65 करोड़ बजट में प्रस्तावित है। जिसमें से 10 प्रतिशत धनराशि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में अर्थात रू. 617.965 करोड़ व्यय किया जा सकता है। इस धनराशि का 33 प्रतिशत धनराशि रू. 203.93 करोड़ होता है जिसके व्यय की अनुमति चाही गयी है। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों के तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में अनुमन्य 10 प्रतिशत की धनराशि में से 33 प्रतिशत धनराशि का 01 प्रतिशत को मूल्यांकन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मदों हेतु आवश्यक समस्त कार्यों हेतु व्यय किए जाने हेतु अनुमति चाही गयी है।

अतः 10 प्रतिशत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि का 33 प्रतिशत धनराशि रू. 203.93 करोड को न्याय पंचायत, विकास खण्ड एवं राज्य स्तर पर व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। 10 प्रतिशत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि का 33 प्रतिशत धनराशि रू. 203.93 करोड के 01 प्रतिशत धनराशि रू. 2.04 करोड़ को भी निदेशालय स्तर पर आपके द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 18.02.2016 द्वारा निर्धारित गतिविधियों के लिए व्यय किए जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

यदि उक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय नहीं हो पाता है तो, बची हुई धनराशि का आंकलन ग्राम पंचायतों के योगदान के सापेक्ष करते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों को उनके योगदान के आनुपातिक अंश के आधार पर वापस कर दी जायेगी।

भवदीय,

J.B. Singh

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।